

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
यमुना लिंक चैनल निर्माण खण्ड
सहारनपुर।**

पत्रांक

/ य0लि0घै0नि0ख0स0पुर / दिनांक

2021

अल्पकालीन कुटेशन सूचना

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित उपकरणों की आपूर्ति हेतु अल्पकालीन मोहरबन्द कुटेशन दिनांक 09.02.2021 साय 4.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। समस्त कुटेशन दिनांक 10.02.2021 को अपराह्न 12.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में कुटेशन दाताओं/कुटेशन दाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। किसी कारणवश उक्त दिवस में अवकाश होने की दशा में कुटेशन अगले कार्य दिवस में उसी स्थान एवं समय पर खोली जाएगी।

उपकरणों का विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	उपकरण का विवरण	अनुमानित मात्रा	अभियुक्ति
01	Cube strength testing machine (non digital)	1 no	
01	M.S. Cube mould with rod (15X15X15 cm)	12 nos	
02	Slump test cone with rod	1 no	
03	Compacting factor equipment	1 nos	
04	Sieve set 80mm,40mm,20mm,10mm,4.75mm 2.36mm,1.18mm,600 μ ,300 μ ,150 μ with shakar	1 no each	
05	Crushing strength machine	1 no	
06	Page impact machine	1 no	
07	Silt Test equipment (measuring jar)	2 nos	
08	Abrasion testing machine (Los angle)	1 no	
09	Vicat's needle Apparatus	1 set	
10	Le chatelier apparatus	1 set	
11	(Litmas Paper)	100 no	
12	Oven	1 nos	
13	Weighing machine 100kg. capacity	4 nos	
14	M.S. Tray minimum 2' feet dia	2 nos	
15	Glass Measuring cylinder 1 kg. capacity	2 nos	

शर्त:- कार्य से सम्बन्धित नियम/शर्तों का विवरण <http://Saharanpur.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

- 1- कुटेशन में दी गई दरें स्थल पर मशीनें /अन्य सामान की पहुँच आदि सहित होगी।
- 2- समस्त मशीनों की दरें बिना जी एस टी के दी जाएगी तथा जी एस टी की दर अलग से दर्ज करानी होगी।
- 3- समस्त मशीनों की निर्धारित स्थल पर सप्लाई प्राप्त होने एवं सही प्रकार से कार्यरत होने की जाँच उपरान्त ही भुगतान संभव होगा।
- 4- समस्त मशीनों को बादशाहीबाग स्थित खारा विधुत गृह कालोनी में स्थित विभागीय स्टोर भवन में पहुँचाने तथा मशीनों को टेस्ट कर दिखाने की जिम्मेदारी कुटेशनदाता की होगी।
- 5- उक्त उपकरणों की दरें 90 दिन तक प्रभावी मानी जायेगी।

कमरा: ————— 02

(02)

- 6- मशीने आदि समय से विभाग को प्राप्त न कराए जाने की दशा में 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से (अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक) पैनल्टी कुटेशन दाता के बीजको से काटी जाएगी।
- 7- उपरोक्त कुटेशन की दरे कार्यालय की E-mail- eeylccdsre@gmail.com पर भी निर्धारित समय से पूर्व उपलब्ध कराई जा सकती है।
- 8- एक अथवा समस्त कुटेशन को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

अधिशारी अभियन्ता
यमुना लिंक चैनल निर्माण खण्ड
सहारनपुर।

पत्रांक 134 / य0लि0चै0नि0ख0स0पुर / तदिनांक 02/02/ 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सहारनपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, खारा बादशाहीबाग, सहारनपुर।
- 3- अधिशारी अभियन्ता, जानपद निर्माण खण्ड खारा, बादशाहीबाग, सहारनपुर।
- 4- प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सहारनपुर को उपरोक्त कुटेशन सूचना की हार्ड कापी एवं सी0डी0 अपनी वेबसाइट <http://Saharanpur.nic.in> पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 5- सहायक अभियन्ता-चतुर्थ यमुना लिंक चैनल निर्माण खण्ड, सहारनपुर।
- 6- नोटिस बोर्ड

अधिशारी अभियन्ता
यमुना लिंक चैनल निर्माण खण्ड
सहारनपुर।